जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत भार को नियमित कराने का अंतिम अवसर

"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" 31 जनवरी तक लागू

जयपुर, 31 दिसम्बर। प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को बढाने और राजस्व हानि को रोकने के लिये बिजली वितरण कम्पनियों ने "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" को एक माह के लिए पुनः लागू करने का निर्णय किया है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2016 तक बढे हुए भार को नियमित कराने का एक और अंतिम अवसर दिया गया है।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, बढे लोड के कारण बार–बार ट्रांसफार्मर जलने की समस्या से निजात दिलाने और बिजली कम्पनियों की राजस्व हानि को रोकने के लिये इस योजना को पुनः एक माह के लिए 31 जनवरी, 2016 तक लागू करने का निर्णय किया गया है। पूर्व में यह योजना 15 अक्टूबर से 14 नवम्बर, 2015 तक लागू की गई थी।

श्री सावंत ने बताया कि "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढा हुआ पाया जायेगा तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जायेगी एवं मात्र धरोहर राशि जमा करवा कर उनके भार को नियमित कर दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिये उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/– प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होंगे।

श्री सावंत ने बताया कि जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है और वे इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को बढे हुये भार पर रूपये (2500+2500) कुल रुपए 5000/– प्रति हार्स पावर पैनल्टी जमा करानी होगी।

उन्होंने बताया कि योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफॉर्मर क्षमता वृद्धि व नई 11के.वी. लाईन डालने एवं सब–स्टेशन का खर्च विद्युत वितरण निगमों द्वारा वहन किया जायेगा।

श्री सावंत ने बताया कि ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हों, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढाते है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत भार को बिना जुर्माने के नियमित कराने का किसानों को यह अंतिम अवसर दिया गया है। योजना अवधि 31 जनवरी, 2016 के बाद भार सत्यापन के दौरान बढ़ा हुआ भार पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 344/2015